न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़-बास (अलवर)

दिनांक	हुकम या कार्यवाही मय हस्ताक्षर जज
28/6/24	पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान उप० नहीं। वास्ते जवाब प्रति० दिनांक 3/7/24 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़बास (खैरथल-तिजारा)
3/7/24	पत्रावली पेश हुई। पी.ओ. साहब अन्य कार्य में व्यस्त हैं/बाहर पधारे हैं। उभयपक्ष के अभि उप. आयन्दा दिनांक 5/11/24 को पेश हो। रीडर
5/11/24	पत्रावली पेश हुई। वास्ते पेश करने जवाब प्रति० दिनांक 07/01/25 को पेश हो।
07/01/25	पत्रावली पेश हुई। वास्ते जवाब प्रति० दिनांक 11/3/25 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़बास (खैरथल-तिजारा) 11/3/25...पत्रावली पेश हुई। पी.ओ. साहब अन्य कार्य में व्यस्त हैं/बाहर पधारे हैं। उभयपक्ष के अभि उप. आयन्दा दिनांक 6/5/25 को पेश हो। रीडर
6/5/25	पत्रावली पेश हुई/वास्ते जवाब प्रति० दिनांक 8/7/25 को पेश हो।
8/7/25	पत्रावली पेश हुई। वास्ते जवाब प्रति० दिनांक 14/7/25 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़बास (खैरथल-तिजारा)
14/07/25	पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थी ने अभी भी जवाब पेश नहीं किया। जवाब अप्रार्थी बंद किया जाकर वकील पक्षकारान की उपस्थिति पर सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में संलग्न जमा० संवत् 2066-67 के अनुसार आ०ख०नं० 614 रकबा 0.0900 है० वाले ग्राम बालौर के 1/2 हिस्से पर प्रतिवादीगण सांदेह खातेदार दर्ज रिकार्ड है। अतः अप्रार्थी/प्रति० को तकसीमा दावा अकिये अस्थाई निषेधाज्ञा पारित किया जाता है कि वो आ०ख०नं० 614 रकबा 0.0900 है० के 1/2 हिस्से वाले ग्राम बालौर तहसील किशनगढ़बास के मौका एवं रिकार्ड की संयुक्तिति बनाये रखे। प्रा०पत्र नैसर्ग कुमार घोष संलग्न मुलवाद दे। उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़बास (खैरथल-तिजारा)